कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी

KRISHI VIGYAN KENDRA, Bundi

प्रसार शिक्षा निदेशालय (कृषि विश्वविद्यालय, कोटा)
DIRECTORATE OF EXTENSION EDUCATION (AGRICULTURE UNIVERSITY, KOTA)
पी.ओ. बॉक्स–4, श्योपुरिया की बावड़ी, नैनवा रोड, बूंदी – 323001, (राज.)
P.O. Box-4, Shyopuria Ki Bawari, Nainwa Road, Bundi - 323001, (Raj.) India

डॉ. महेश चौधरी (वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष)
Dr. Mahesh Choudhary (Senior Scientist & Head)
Email : kvkbundi@aukota.org
Website : http://bundi.kvk2.in/
9829408402 (Mob.)

F. ( )/KVK/BND/TENDER/2026/359-364 Date: 02.07.2026

डेयरी इकाई में उत्पादित दूध के विक्रय हेतु खुली निविदा सूचना

कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी स्थित डेयरी इकाई में उत्पादित दूध के विक्रय हेतु प्रति लीटर दर प्राप्त करने के उद्देश्य से 01 जुलाई, 2026 से 30 जून, 2027 तक इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों/फर्मों/ठेकेदारों से सीलबंद खुली निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। कार्य की अनुमानित लागत ₹ 5.00 लाख (रुपये पाँच लाख मात्र) है। निविदा प्रपत्र दिनांक 02.07.2026 से कार्यालय दिवसों में कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी कार्यालय से ₹ 500/- शुल्क जमा कर प्राप्त किए जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र के साथ ₹25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) की धरोहर राशि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट अथवा चेक के माध्यम से जमा करानी होगी। पूर्ण रूप से भरा हुआ निविदा प्रपत्र दिनांक 10.07.2026 को प्रातः 11:00 बजे तक कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी कार्यालय में जमा किया जा सकेगा। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन दोपहर 3:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएँगी। निविदा प्रपत्र, विस्तृत नियम एवं शर्तें तथा अन्य आवश्यक जानकारी राजस्थान राज्य सार्वजनिक खरीद पोर्टल (https://sppp.rajasthan.gov.in) तथा कृषि विश्वविद्यालय, कोटा की वेबसाइट (https://aukota.org) पर उपलब्ध हैं। अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कोई कारण बताए किसी भी अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायर्वाही हेतु प्रेषित

1. श्रीमान निदेशक प्रसार शिक्षा, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
2. श्रीमान वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
3. श्रीमान नोडल अधिकारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट, सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
4. समिति के समस्त सदस्य ।
5. नोटिस बोर्ड, कृषि विज्ञानं केंद्र बूंदी/ कृषि विश्वविद्यालय कोटा

02-07-2026
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी (राजस्थान)

(कृषि विश्वविद्यालय, कोटा)

वित्तीय निविदा (दर प्रपत्र)

कार्य का नाम : डेयरी इकाई में उत्पादित दूध के क्रय हेतु प्रति लीटर दर।

निविदादाता का विवरण

1. निविदादाता का नाम : ____________________

2. पिता/पति का नाम : ____________________

3. पूर्ण पता : ____________________

4. मोबाइल नम्बर : ____________________

5. पैन नम्बर : ____________________

प्रस्तावित प्रति लीटर दर

मैं/हम कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी स्थित डेयरी इकाई में उत्पादित दूध क्रय करने हेतु निम्नानुसार प्रति लीटर दर का प्रस्ताव प्रस्तुत करता/करते हैं–

क्र.सं.	विवरण	इकाई	प्रस्तावित दर (₹)
1	डेयरी इकाई में उत्पादित दूध का क्रय	प्रति लीटर	__________

प्रस्तावित प्रति लीटर दर (अंकों में) : ₹ ____________

प्रस्तावित प्रति लीटर दर (शब्दों में) : ____________________

घोषणा

मैं/हम प्रमाणित करता/करते हैं कि निविदा की समस्त नियम एवं शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया है तथा उन्हें पूर्णतः स्वीकार करता/करते हैं। निविदा स्वीकृत होने पर स्वीकृत प्रति लीटर दर एवं निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार डेयरी इकाई में उत्पादित दूध का क्रय करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

दिनांक : ____ / ____ / 20____

स्थान : ____________________

निविदादाता के हस्ताक्षर : ____________________

नाम : ____________________

कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी (राजस्थान)

डेयरी इकाई में उत्पादित दूध के विक्रय हेतु नियम एवं शर्तें

1. चयनित निविदादाता को डेयरी इकाई में उत्पादित दूध प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल डेयरी प्रभारी द्वारा निर्धारित समय पर प्राप्त करना होगा। दूध प्राप्त करने का समय डेयरी प्रभारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
2. चयनित निविदादाता अपने नाम स्वीकृत कार्य को बिना पूर्व लिखित अनुमति किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तांतरित अथवा उपठेके (Sub-contract) पर नहीं देगा।
3. दूध का मापन/तौल केन्द्र द्वारा निर्धारित मानक माप अथवा तौल उपकरण से किया जाएगा। केन्द्र द्वारा अभिलेखित मात्रा ही अंतिम एवं मान्य होगी।
4. दूध प्राप्त करने हेतु आवश्यक एवं स्वच्छ बर्तन/केन की व्यवस्था निविदादाता स्वयं करेगा।
5. पशुओं के दुग्ध उत्पादन के अनुसार दूध की मात्रा में प्रतिदिन अथवा समय-समय पर वृद्धि अथवा कमी हो सकती है। इस संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
6. दूध की गुणवत्ता, पशुओं के दुग्ध उत्पादन अथवा अन्य कारणों से उपलब्ध दूध की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है। इस आधार पर किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
7. निविदादाता को दुग्ध संग्रहण एवं विक्रय कार्य का अनुभव होना चाहिए। निर्धारित समय पर दूध प्राप्त नहीं करने अथवा विलम्ब के कारण दूध की गुणवत्ता प्रभावित होने पर उसकी पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
8. निविदा स्वीकृत होने पर चयनित निविदादाता को कार्यादेश जारी होने से पूर्व ₹25,000/- **(रुपये पच्चीस हजार मात्र)** की सुरक्षा धरोहर राशि कार्यालय में जमा करानी होगी। अनुबंध अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने तथा समस्त देयताओं के निस्तारण के उपरांत उक्त राशि नियमानुसार वापस कर दी जाएगी। अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन अथवा बिना अनुमति कार्य छोड़ने की स्थिति में सुरक्षा धरोहर राशि नियमानुसार पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से जब्त की जा सकेगी।
9. दूध का भुगतान प्रत्येक माह की **10 तारीख** तक कार्यालय में जमा कर उसकी रसीद डेयरी प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी। विलम्ब होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
10. केन्द्र के कर्मचारियों को प्रदाय किए गए दूध का मूल्य संबंधित कर्मचारी से निविदादाता स्वयं प्राप्त करेगा। इस संबंध में केन्द्र की कोई वित्तीय जिम्मेदारी नहीं होगी।
11. प्रतिदिन प्राप्त दूध की मात्रा का सत्यापन निर्धारित प्रपत्र में निविदादाता के हस्ताक्षर सहित किया जाएगा।
12. अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन अथवा कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुबंध नियमानुसार निरस्त किया जा सकेगा तथा सुरक्षा धरोहर राशि नियमानुसार पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से जब्त की जा सकेगी।
13. कार्य के दौरान निविदादाता एवं उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति/व्यक्तियों से संबंधित सभी वैधानिक दायित्वों तथा लागू कानूनों के पालन की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
14. इस अनुबंध से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार **बून्दी (राजस्थान)** की सक्षम न्यायालयों का होगा।
15. अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कोई कारण बताए किसी भी अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
16. जिन विषयों का उल्लेख इन नियम एवं शर्तों में नहीं किया गया है, उन पर राजस्थान पारदर्शी लोक खरीद अधिनियम, 2012, राजस्थान पारदर्शी लोक खरीद नियम, 2013 तथा कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के प्रचलित नियम लागू होंगे।

घोषणा

मैं/हम प्रमाणित करता/करते हैं कि उपर्युक्त सभी नियम एवं शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया है तथा उन्हें पूर्णतः स्वीकार करता/करते हैं।

दिनांक : ____ / ____ / 20____

स्थान : ____________________

निविदादाता के हस्ताक्षर : ____________________

नाम : ____________________________